न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

पीठासीन अधिकारी – रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 09/2021

प्रार्थी :–

1. राजाराम बासट पुत्र प्रहलादराम
   जाति–जाट, निवासी–दूगोली, तहसील–जायल जिला–नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. धर्माराम पुत्र रामजस जाति–बिश्नोई निवासी–रोटू
2. मुन्नीदेवी पत्नि ताराचन्द जाति–साद, निवासी–दुगोली
3. धुंकलराम पुत्र आफुराम जाति–बिश्नाई निवासी–रोटू
4. कमलकिशोर पुत्र नथमल जाति–नाई निवासी–दुगोली
5. भंवरी पत्नि नथमल जाति–नाई, निवासी–दुगोली
6. सागरमल पुत्र नथमल जाति–नाई निवासी–दुगोली
7. मैनेजर राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा –खिंयाला
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति –

1. अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री हनुमानराम मण्डा अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।
3. अधिवक्ता श्री वी.पी. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।
4. अधिवक्ता श्री दशरथसिंह, नरेन्द्रसिंह अप्रार्थी संख्या 3, 6 की ओर से।
5. अप्रार्थी संख्या 4, 5, 7 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।
6. अप्रार्थी संख्या 8 राजपैरोकार स्वयं उपस्थित।

दिनांक : 16/06/2021

– : : आदेश : : –

1. प्रार्थना पत्र का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी खातेदारी का खेत खसरा नं. 748 रकबा 1.0441 हैक्टेयर रहता चला आया है। प्रार्थी ने अपने खातेदारी के खेत में आने जाने के लिए वर्षो पुराने रास्ता जो कि ग्राम दुगोली से राजोद जाने वाले कटाणी रास्ता से फंटकर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 के खेत खसरा नं. 758,

16/06/2021
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

2126/759, 749, , 747 की भूमि के धोरे–2 में से माफिक नजरी नक्शा के अनुसार पशुधन, ट्रेक्टर, उंट छकड़ा आदि लाते व जाते रहे है तथा काश्त कसरण करते रहे है। प्रार्थी के उक्त खातेदारी के खेत में आने जाने हेतु अन्य कोई निकटतम तथा वैकल्पिक, कम दूरी का रास्ता नहीं है, जिसमें से आना जाना तथा कृषि कार्य कर सके। यही एक मात्र रास्ता है, जो माफिक नजरी नक्शानुसार मार्क ए से बी है। उक्त रास्ता 16 फुट चौड़ाई में माफिक नजरी नक्शानुसार रहता चला आया है, जो अप्रार्थीगण संख्या 1 की खातेदारी भूमि में से है जिसमें से आना जाना नहीं करने हेतु अप्रार्थी संख्या 4 से 6 द्वारा मना कर दिया है, खातेदारी की आड़ में खसरा नं. 758 रकबा 0.1457 हैक्टैयर जो बिना कब्जा के ही आने जाने से मना करते हुये उक्त वर्षो पुराने रास्ते का रोक दिया है। उक्त रास्ता बंद कर दिये जाने से प्रार्थी काश्त करसण, पशुधन आदि को खेत में लाना ले जाना तथा आवश्यक संसाधन नहीं ले जा सकता है। प्रार्थी को उक्त रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता है तथा उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई भी वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी के सहखातेदारी के खेत, रहवासी ढाणी में आवागमन हेतु नहीं लगता है।

अतः प्रार्थी को अप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नं. 758, 2126/759, 749, 747 में से माफिक नजरी नक्शानुसार मार्क ए से बी 16 फीट चौड़ाई में रास्ता स्वीकृत व घोषित किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु आदेश फरमावे। उक्त रास्ते के लिए उपभोग में आने वाली भूमि के एवज में प्रार्थी नियमानुसार डी.एल.सी. दर के अनुसार देय प्रतिफल राशि का भुगतान करने हेतु सहमत है।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 4, 5, 7 तामील सूचना होने के उपरान्त भी प्रकरण में अनुपस्थित रहने इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर अधिवक्ता श्री हनुमानराम मण्डा ने दिनांक 09.03.2021 वकालातनामा, अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री विकास पारीक ने वकालात नामा मय इकबालिया जवाब दिनांक 23.03.2021 को पेश किया। अप्रार्थी संख्या 3 व 6 की ओर से अधिवक्ता श्री दशरथसिंह, नरेन्द्रसिंह राठौड़ ने वकालातनामा पेश किया पेश किया। अप्रार्थी संख्या 8 स्वयं उपस्थित हुये। प्रकरण हाजा में भू. निरीक्षक दूगोली तहसील–जायल को मौका रिपोर्ट पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई।

3. हस्तगत प्रकरण में भू.–अभिलेख मौका रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार जायल के जरिये पत्रांक : भू.अ./2021/1002 दिनांक 02.03.2021 प्राप्त हुई। जिसका विवरण निम्न प्रकार है –

- प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता खसरा नं. 758, 747 में से मौजूद है।
- प्रस्तावित रास्ते तथा वैकल्पिक रास्ते की दूरी बराबर है।
- प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित व वांछित रास्ते की भूमि/स्थान पर कच्चा/पक्का निर्माण नहीं है।
- प्रस्तावित रास्ते के लिए उपभोग में आने वाली भूमि कुल भूमि 0.0526 हैक्टैयर माफिक तकमीना (खसरा नं. 747 में से 0.0223 हैक्ट, खसरा नं. 749 में से 0.0222 हैक्ट, खसरा नं. 2126/759 में से 0.0041 हैक्ट) अनुसार है।
- प्रस्तावित रास्ते की भूमि डी.एल.सी. दर 21267/– प्रतिबीघा है।

प्रकरण के विचाराधीन रहते दिनांक 23.03.2021 को वकील प्रार्थी व अप्रार्थी ने उपस्थित न्यायालय होकर राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया।

4. हस्तगत प्रार्थना पत्र के संबंध में अप्रार्थी संख्या 3 व 6 की ओर से पैरवी करते हुये अधिवक्ता ने जवाब/आपत्तियां पेश कर बताया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य पूर्ण रूप से सही नहीं है। प्रार्थी का खेत खसरा नं. 748 दूगोली की सरहद में मे स्थित होना सही है, परन्तु यह गलत है कि प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के खेताय खसरा नं 758, 2126/759, 749, 747 के धोरे–2 संलग्न नजरीनक्शानुसार आवागमन कर रहा हो एवं संसाधन, पशुधन, ट्रेक्टर, उंट छकड़ा आदि लाता व ले जाता रहा हो। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नं. 2126/759 जो कि अप्रार्थी संख्या 3 धुंकलराम का बताया गया है जो धुंकलराम का खेत नही है, केवल जानबुझकर भ्रम में डालने के उद्देश्य से उसके पिता का नाम प्रार्थना पत्र में दर्ज किया है। उक्त खसरान की दक्षिणी पश्चिमी कोने पर आवासीय पुरानी पक्की ढाणी एवं पानी का टांका बना हुआ है। इसलिए रहवासी ढाणी के अन्दर से होकर किसी प्रकार का रास्ते का अस्तित्व होना मात्र कल्पना है। जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बनावटी, काल्पनिक होना प्रकट हो रहा है। इसी प्रकार प्रार्थी का यह कथन है कि प्रस्तावित रास्ता जो कि 16 फीट चौड़ाई में है, का तथ्य कल्पना मात्र है क्योंकि सहमति से चल रहे रास्ते की चौड़ाई 8–10 फीट की चौड़ाई ज्यादा कही पर

भी नहीं हो सकती है। प्रार्थी ने खातेदारी खेत को भू–खण्ड में तब्दील करने के आशय से 16 फीट चौड़ाई रास्ता अनावश्यक रूप से चाहा गया है।

इसी प्रकार प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र खसरा नं. 758 अप्रार्थी संख्या 3 से 6 के खातेदारीसुदा होते हुये भी उसपर अप्रार्थीगण का कब्जा स्वीकार नहीं किया है, तो अप्रार्थी को रास्ते के बदले की भूमि के एवज में प्रतिफल राशि अदा करने की सहमति क्यों व्यक्त की है। प्रार्थी को आवागमन खसरा नं. 747 की दक्षिणी माठ से होकर शुरू से ही रहा है तथा आज दिन भी खसरा नं. 747 व 748 के खातेदार काश्तकार अदला–बदली करते हुये आवागमन के लिए सहमति है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 धर्माराम के द्वारा दुरभिसंधी करते हुये अप्रार्थी संख्या 3 की रहवासी ढाणी को तुड़वाकर नया रास्ता कायम करवाने बाबत् पेश किया है।

अतः प्रार्थना में वर्णित तथ्य, गलत, आधारहीन होने तथा वैकल्पिक रास्ता आवागमन होने के बावजूद अप्रार्थी को तंग व परेशान की नियत से पेश किया है। इसी प्रकार प्रस्तावित रास्ते पर अप्रार्थीगण की रहवासी ढाणी होने से रास्ता बंद किये जाने संबंधी धमकिया दिये जाने का कथन काल्पनिक है। प्रार्थी का कथन है कि प्रस्तावित रास्ता जो कि आवागमन के के रूप में काम में लिया जा रहा था उसे अप्रार्थीगण ने बंद कर दिया है। किसी व्यक्ति द्वारा कदीमी रास्ता को अवरूध करने की धमकी दिये जाने पर तो ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत, तहसीलदार एवं माननीय सिविल न्यायालय द्वारा सुखाधिकार के तहत घोषणा किये जाने के विधिक प्रावधान है। धारा 251क के तहत माननीय न्यायालय को इस प्रकरण का सुनवाई करने क्षेत्राधिकार नहीं होने तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मनगढ़त, काल्पनिक तथ्यों एवं निराधार व सारहीन होने से खारिज योग्य है।

प्रकरण का अवलोकन किया, उक्त प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के तहत है, जो कि संक्षिप्त कार्यवाही (Summary Proceeding) के तहत आते है तथा प्रकरण में अपेक्षित कार्यवाही (भू.अ. मौका रिपोर्ट व अप्रार्थीगण को सूचना) हो चुकी है। अप्रार्थी संख्यां 3 व 6 द्वारा जवाब/आपत्तियां पेश की जा चुकी है। इसी प्रकार प्रकरण में किसी प्रकार कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से वकुलाय की सहमति पर बहस अन्तिम हेतु तारीख पेशी नियत की गई।

5. बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित पैराज का पुनः दोहरान करते हुये निवेदन किया प्रार्थी ने अपने खातेदारी के खेत में आने जाने के लिए वर्षो पुराने रास्ता जो कि ग्राम दुगोली से राजोद

जाने वाले कटाणी रास्ता से फंटकर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 के खेत खसरा नं. 758, 2126/759, 749, 747 की भूमि के धोरे–2 में से माफिक नजरी नक्शा के अनुसार पशुधन, ट्रेक्टर, उंट छकड़ा आदि लाते व जाते रहे है तथा काश्त कसरण करते रहे है। इस की तथ्य पुष्टि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व इकबालिया जवाब से भी होती है। प्रार्थी के उक्त खातेदारी के खेत में आने जाने हेतु अन्य कोई निकटतम तथा वैकल्पिक, कम दूरी का उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य रास्ता नहीं है, जिसमें से आना जाना तथा कृषि कार्य कर सके। उक्त रास्ता 16 फुट चौड़ाई में माफिक नजरी नक्शानुसार है, जो अप्रार्थीगण संख्या 1 की खातेदारी भूमि में से है। खातेदारी की आड़ में अप्रार्थी संख्या 4 व 6 द्वारा खसरा नं. 758 रकबा 0.1457 हैक्टैयर जो बिना कब्जा के ही आने जाने से मना करते हुये उक्त वर्षो पुराने रास्ते का रोंक दिया है। उक्त रास्ता बंद कर दिये जाने से प्रार्थी काश्त करसण, पशुधन आदि को खेत में लाना ले जाना तथा आवश्यक संसाधन नहीं ले जा सकता है। प्रार्थी को उक्त रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता है तथा उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई भी वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी के सहखातेदारी के खेत, रहवासी ढाणी में आवागमन हेतु नहीं लगता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशानुसार सबसे निकटतम कटाणी रास्ते से काश्तकार/खातेदार के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने तथा काश्तकार/खातेदार को रास्ते की आत्यान्तिक होने पर नियमानुसार डी.एल.सी. दर की 2 गुणा राशि पर दिये जाने का प्रावधान है। अतः प्रार्थी को ग्राम दूगोली तहसील जायल खेत खसरा नं. 758, 2126/759, 749, 747 में से माफिक नजरी नक्शानुसार मार्क ए से बी 16 फीट जिसके एवज में प्रार्थी नियमानुसार डी.एल.सी. दर के अनुसार देय प्रतिफल राशि का भुगतान करने हेतु सहमत है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जावे तथा रास्ता घोषित किया जावे।'

6. बहस के दौरान वकील अप्रार्थी संख्या 4 व 6 ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का पुर्नदोहरान तथा वकील प्रार्थी द्वारा बहस में दी गई दलीलों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी का खेत खसरा नं. 748 दूगोली की सरहद में मे स्थित होना सही है, परन्तु यह गलत है कि प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के खेताय खसरा नं 758, 2126/759, 749, 747 के धोरे–2 संलग्न नजरीनक्शानुसार आवागमन कर रहा हो। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नं. 2126/759 जो कि अप्रार्थी संख्या 3 धुंकलराम का बताया गया है जो धुंकलराम का खेत नही है, केवल जानबुझंकर भ्रम में डालने के उद्‌देश्य से

उसके पिता का नाम प्रार्थना पत्र में दर्ज किया है। उक्त खसरान की दक्षिणी पश्चिमी कोने पर आवासीय पुरानी पक्की ढाणी एवं पानी का टांका बना हुआ है। इसलिए रहवासी ढाणी के अन्दर से होकर किसी प्रकार का रास्ते का अस्तित्व होना मात्र कल्पना है। प्रार्थी का यह कथन है कि प्रस्तावित रास्ता जो कि 16 फीट चौड़ाई में है, का तथ्य कल्पना मात्र है क्योंकि सहमति से चल रहे रास्ते की चौड़ाई 8–10 फीट की चौड़ाई ज्यादा कही पर भी नहीं हो सकती है। प्रार्थी ने खातेदारी खेत को भू–खण्ड में तब्दील करने के आशय से 16 फीट चौड़ाई रास्ता अनावश्यक रूप से चाहा गया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में खसरा नं. 758 जो कि अप्रार्थी संख्या 3 से 6 के खातेदारी सुदा होते हुये भी उसपर अप्रार्थीगण का कब्जा स्वीकार नहीं किया है, तो अप्रार्थी को रास्ते के बदले की भूमि के एवज में प्रतिफल राशि अदा करने की सहमति क्यों व्यक्त की है। प्रार्थी का शुरू से ही आवागमन खसरा नं. 747 की दक्षिणी माठ से होकर रहा है तथा आज दिन भी खसरा नं. 747 व 748 के खातेदार काश्तकार अदला–बदली करते हुये आवागमन में सहमत है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 धर्माराम के द्वारा दुरभिसंधी करते हुये अप्रार्थी संख्या 3 की रहवासी ढाणी को तुड़वाकर नया रास्ता कायम करवाने बाबत् पेश किया है।

अतः प्रार्थना में वर्णित तथ्य, गलत, आधारहीन होने तथा वैकल्पिक रास्ता आवागमन होने के बावजूद अप्रार्थी को तंग व परेशान की नियत से पेश किया है। इसी प्रकार प्रस्तावित रास्ते पर अप्रार्थीगण की रहवासी ढाणी होने से रास्ता बंद किये जाने संबंधी धमकिया दिये जाने का कथन काल्पनिक है। प्रार्थी का कथन है कि प्रस्तावित रास्ता जो कि आवागमन के के रूप में काम में लिया जा रहा था उसे अप्रार्थीगण ने बंद कर दिया है। किसी व्यक्ति द्वारा कदीमी रास्ता को अवरूध करने की धमकी दिये जाने पर तो ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत, तहसीलदार एवं माननीय सिविल न्यायालय द्वारा सुखाधिकार के तहत घोषणा किये जाने के विधिक प्रावधान है। धारा 251क के तहत माननीय न्यायालय को इस प्रकरण का सुनवाई करने क्षेत्राधिकार नहीं होने तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मनगढ़त, काल्पनिक तथ्यों एवं निराधार व सारहीन होने से खारिज योग्य है।

7. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् राजस्व रिकॉर्ड, मौका रिपोर्ट तहसीलदार जायल का अवलोकन किया गया साथ ही वकुलाय द्वारा पक्षकारान की ओर से पैरवी करते हुये दी गई दलीलों एवं बहस पर गहनतापूर्वक मनन किया गया। मौका रिपोर्ट दिनांक 02.03.2021 में प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नं. 748 में कृषि कार्य के लिए आने जाने हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य

(एस.डी.ओ.) जायल

वैकल्पिक रास्ता खसरा नं. 758, 747 में से मौजूद होने का अंकन है, जो कि प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते का आधा हिस्सा है। नजरी नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नं. 749 की खातेदार/काश्तकार भी इसी रास्ते का उपयोग कर रही है। प्रार्थीगण के अपने खातेदारी खेत में आने जाने के लिए खसरा नं 758, 2126/759 में से प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं होना सम्पुष्ट होता है। अतः हमारी राय में प्रार्थी को अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 748 के लिए आवागमन हेतु खसरा नं. 749, 747, 2126/759, 758 में से माफिक मौका रिपोर्ट/नजरी नक्शानुसार 16 फीट की जगह 13 फीट चौड़ाई में रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

: : आदेश : : –

यत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ आने व जाने अथवा संसाधनो को लाने ले जाने के लिए मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण प्रार्थी के खेत खसरा नं. 748 के लिए ग्राम–दुगोली तहसील–जायल के खसरा नं. 749, 747, 2126/759, 758 में से प्राप्त भू.अ. निरीक्षक मौका रिपोर्ट (मार्फत तहसीलदार जायल) दिनांक 02.03.2021 के अनुसार डोटेट मार्क ए–बी–डी–सी के अनुसार 16 फीट चौड़ाई के स्थान पर 13 फीट चौड़ाई में स्वीकृत किया जाता है।

तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त ग्राम दूगोली तहसील–जायल के खसरा नं. 748 के लिए खसरा नं. 749, 747, 2126/759, 758 में से 13 फीट चौड़ाई के लिए रास्ते के उपयोग हेतु आने वाली भूमि के एवज में प्रार्थी से वर्तमान नवीनतम डी.एल.सी. दर अनुसार 2 गुणा राशि (माफिक मौका रिपोर्ट/तकमीना) प्रभावित खातेदार कृषक को नियमानुसार भुगतान कराने की कार्यवाही माफिक आदेश बाद अपील मियाद के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे। प्रकरण हाजा में प्राप्त मौका रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक मार्फत तहसीलदार जायल उक्त आदेश का भाग रहेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16/06/2021 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

16/06/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल